

FROM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

राहाग कलक्टर
(SDO) बायलु

अदालत..... मुकाम.....

बनाम
वीरमाराय दीपाराय शेट्टी

किस्म मुकदमा र.प्र. 111, 128 LLR 2012 नं. 151/2012 सन.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.04.22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>नरयण शेट्टी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान कायदा/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>25.04.22</u> को पेश हो।</p> <p>25/04/2022</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी/गणों के नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किमागमा विप्रार्थी/गणों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। डाक्टर द्वारा जाकर पत्रावली 28/04/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायलु जिला - बाउनेर</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

25/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(SDO) बायतु

न्यायालय
25/04/2022/487
प्रार्थी
1. बीरमाराम पुत्र नवारा
जाति जाट, निवासी
पटवार मण्डल
तहसील मि
प्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/487

दिनांक : 28/04/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. वीरमाराम पुत्र नथाराम,
जाति जाट, निवासी मानपुरा खारड़ा,
पटवार मण्डल गिड़ा,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. दीपाराम पुत्र विरधाराम वगैरा 36,
जाति जाट, निवासी मानपुरा खारड़ा,
पटवार मण्डल गिड़ा,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 151/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - मानपुरा खारड़ा, पटवार मण्डल - गिड़ा, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 309, 314, 327/56, 356/271, 351/254 रकबा क्रमशः 2.2420, 2.4281, 5.4390, 2.2986, 7.4057 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/488-92

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का गिड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री वीरमाराम पुत्र नथाराम,
4. विप्रार्थी श्री दीपाराम पुत्र विरधाराम वगैरा 36,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 28/04/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

तहसीलदार गिड़ा
(SDO) गिड़ा